



मध्यप्रदेश शासन  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक एफ 4-5 / 2017 / 50-2 / 200  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24.04.2017

कलेक्टर(समस्त)

जिला .....

मध्यप्रदेश

विषय:-राज्य के आंगनवाड़ी/उप आंगनवाड़ी केन्द्रों में 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को नाश्ता प्रदाय के संबंध में निर्देश ।

- संदर्भ:- 1. मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग का आदेश क्र./एफ 4-5/14 / 50-2, दिनांक 24.2.2014 ।  
2. मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग का आदेश क्र.एफ4-5/2016 /50-2,दिनांक 09.12.2016  
3.मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग का आदेश क्रमांक एफ 4-5 / 2017 / 50-2 / 1210,भोपाल, दिनांक 20.03.2017 ।

राज्यशासन के संदर्भित आदेशों का कृपया अवलोकन कीजिए । प्रदेश के समस्त ग्रामीण/शहरी क्षेत्र की आंगनवाड़ी केन्द्रों/उप आंगनवाड़ी केन्द्रों में 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को स्व सहायता समूह के माध्यम से सुबह का नाश्ता दिए जाने का प्रावधान रखा गया है ।

2. यदि किसी कारणवश आंगनवाड़ी केन्द्र में रेडी टू ईट/ताजा पका नाश्ता की उपलब्धता नहीं होने पर बच्चों को भूने चने,मूँगफली और गुड एक निश्चित मात्रा में नाश्ते के रूप में दिया जा सकता है,यह व्यवस्था एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में रहेगी ।

.....2

3. बच्चों को दिए जाने वाले नाश्ते एवं भोजन की मात्रा में न्यूनतम 12 से 15 ग्राम प्रोटीन एवं 500 कैलोरी प्रति हितग्राही प्रतिदिवस अनिवार्यतः होना चाहिए, यह सुनिश्चित किया जावे। यह हर सम्भव प्रयास किया जावे कि प्रतिदिन बच्चों को गुणवत्तायुक्त नाश्ता अनिवार्यतः प्राप्त हों। किसी भी स्थिति में बच्चों को नाश्ता एवं भोजन वितरण व्यवस्था बाधित नहीं रहना चाहिए।

(जे.एन.कांसोटिया)  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक एफ 4-5/17/50-2/201  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 24.04.2017

1. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा संचालनालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक एकीकृत बाल विकास सेवा (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. समस्त अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व-मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव 24/4/17  
मध्यप्रदेश शासन,  
महिला एवं बाल विकास विभाग